भारत सरकार **Government of India**

परमाणु ऊर्जा विभाग **Department of Atomic Energy**

परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय

Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research

1-10-153-156, बेगमपेट Begumpet

हैदराबाद Hyderabad - 500 016

सं.No.AMD/MRG/IREL-Chavara/MMP/180 Ha

नवंबर 14 November, 2018 15

विषय: मैसर्स इंडियन रेअर अर्थस लि., चवरा के पक्ष में करुनागपल्ली तालूका, कोल्लम जिला, केरल के अलाप्पड, पनमना और अयानिवेलीकुलनगरा गावों में 180 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा में एनके ब्लाक IV ईई उपांतरित खनन योजना और खान बंद करने की प्रगतिशील योजना के अनुमोदन के संदर्भ में।

Sub: Approval of Modified Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan in respect of NK Block IV EE Ilmenite Mine over an extent 180 Ha in Alappad, Panmana and Ayanivelikulangara villages of Karunagapally Taluk, Kollam district, Kerala in favour of M/s Indian Rare Earths Limited, Chavara-reg.

सं. : आईआरईएल का दिनांक 19.10.2018 का पत्रांक सं CH/MNG/MP/2018 dated 19.10.2018

Ref : IREL Letter No. CH/MNG/MP/2018 dated 19.10.2018

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और परमाणु खनिज रियायत नियमावली, 2016 के नियम 8(9) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निदेशक, पखनि, मैसर्स इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड को करुनागपल्ली तालूका, कोल्लम जिला, केरल के अलाप्पड, पनमना और अयानिवेलीकुलनगरा गावों में 180 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा में एनके ब्लाक IV ईल्मेनाइट खान की उपांतरित खनन योजना और खान बंद करने की प्रगतिशील योजना को निम्न लिखित शर्तों के तहत अनुमोदित किया जाता है:

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and Rule 8(9) of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, the Modified Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan of NK Block IV EE Ilmenite Mine over an extent 180 Ha in Alappad, Panmana and Ayanivelikulangara villages of Karunagapally Taluk, Kollam district, Kerala is approved by the Director, AMD in favour of M/s Indian Rare Earths Limited, Chavara subject to the following conditions:

अनुमोदनकीशर्तेConditions of approval:

1. एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के खण्ड ख के अधीन "परमाणु खनिज" के रूप में अधिसूचित इल्मेनाइट, रुटाइल, ज़िरकान, मोनाज़ाइट, ल्यूकाकजीन और सिलिमेनाइट खनिजों के संबंधमें उपांतरित खनन योजना और खान बंद करने की प्रगतिशील योजना को अनुमोदित किया जाता है।
   The Modified Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan is approved in respect of minerals Ilmenite, Rutile, Zircon, Monazite, Leucoxene and Sillimanite which are notified as "Atomic Minerals" under Part B of First Schedule of MMDR Act, 1957.

2. यह स्वीकृति इस उपांतरित खनन योजना में निहित खनन परिचालन के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्ष की योजना अवधि के लिए है।
   This approval is for the five year plan period from FY 2016-17 to 2020-21 as per the mining operations contained in this Modified Mining Plan.

3. एएमसीआर, 2016 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में खनन योजना की समीक्षा करेगा और इन नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट समय-सरिणी के अनुसार मैसर्स इंडियन रेअर अर्थस लि. (आईआरईएल), उपरोक्त उपांतरित खनन योजना को अनुमोदन हेतु पखनि को प्रस्तुत करेगा।
The modified mining plan shall be subject to review and updation for every five year as per the provisions of AMCR, 2016 and M/s Indian Rare Earths Limited (IREL) shall submit the same for approval of AMD as per the time schedule specified under these Rules.

4. मैसर्स आई.आर.ई.एल., चवरा राज्य सरकार द्वारा पट्टा देनेका विवरण अथवा खनन पट्टे में संशोधन की विस्तृत जानकारी रिकार्ड हेतु निदेशक, पखनि को प्रस्तुत करेगा।
M/s. IREL-Chavara, shall furnish the details of grant of lease or modifications in mining lease by State Government to Director, AMD for record.

5. पट्टेदार, पट्टा विलेख की प्रति जिसे वर्तमान नियमों के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है, को रिकार्ड के लिए इस निदेशालय में प्रस्तुत करेगा।
The lessee shall submit a copy of lease deed executed as per the extant rules to this Directorate for record.

6. राज्य सरकार द्वारा खनन का पट्टा देते समय निर्धारित कीगई शर्तों और उसके बाद के आदेशों यदि कोई हों तो उपांतरित खनन योजना (खान बंद करने की प्रगतिशील योजना सहित) को कार्यान्वित करते समय उसका ध्यान रखा जाए।
The conditions stipulated by the State Government while granting the mining lease and subsequent orders, if any shall be taken care of while implementing the Modified Mining Plan (including Progressive Mine Closure Plan).

7. परमाणु ऊर्जा (खान, खनिज कार्यक्रम और विहित पदार्थों उठाई-धराई) नियम, 1984 के उपबंधों के अनुसार मैसर्स आई.आर.ई.एल, चवरा को विहित पदार्थों का रख-रखाव / खनन करने के लिए पऊवि से लाइसेंस प्राप्त करेगा और उक्त लाइसेंस में निर्धारित शर्तों और विनियमों का अनुपालन करेगा। इसकी एक प्रति रिकार्ड के लिए पखनि को भेजी जाए।
M/s. IREL, Chavara, shall obtain License from DAE to handle/mine prescribed substances as per the provisions of Atomic Energy (Working of Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substances) Rules, 1984 and comply with the terms and conditions stipulated in the said License. Copy of the same may be sent to AMD for records.

8. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 (दिनांक 9/5/2009 केस्था.आदेशसं. 1210) के उपबंधों के अनुसार, मैसर्स आई. आर. ई. एल, चवरा को एईआरबी से लाइसेंस प्राप्त करेगा। इसकी प्रति रिकार्ड के लिए पखनि को भेजी जाए।
M/s IREL, Chavara, shall obtain License from AERB as per the provisions of Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 (vide S. O. No. 1210 dated 09-05-2009). A copy of the same may be sent to AMD for records.

9. उत्पादित मोनाज़ाइट का भंडारण/निपटान पऊवि एवं एईआरबी के लाइसेंस की शर्तों के अतिरिक्त एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत उपाबंधों के अधीन होगी।
The storage/disposal of monazite recovered shall be subject to the conditions of licences by DAE and AERB and also the provisions under MMDR Act, 1957.

10. भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनन / क्षेत्र के लिए समय-समय पर लागू या काई अन्य कानून पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपांतरित खनन योजना और खान बंद करने की प्रगतिशील योजना अनुमोदित किया गया है।

That the Modified Mining and Progressive Mine Closure Plan is approved without prejudice to any other laws applicable to the mine/area from time to time whether made by the Government of India, State Government, or any other competent authority.

11. उपांतरित खनन योजना (खान बंद करने की प्रगतिशील योजना सहित) का यह अनुमोदन किसी भी तरह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 अथवा परमाणु खनिज रियायत नियमावली, 2016 अथवा किसी दूसरे कानून जैसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1960, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और उस के अधीन बनाए गए नियमों अथवा सी.आर. ज़ेड. अधिसूचना आदि के किसी अन्य उपबंधों की शर्तों को समाविष्ट नहीं करता और नही यह सरकार द्वारा अनुमोदित है।

That this approval of the ModifiedMining Plan (including Progressive Mine Closure Plan) does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provisions of the Mines & Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 or the Atomic Mineral Concession Rules, 2016or any other law including Forest (Conservation) Act 1960, Environment Protection Act, 1986 and the rules made thereunder, or CRZ notification etc.

12. खान अधिनियम, 1952 के उपबंध और उस के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन खदान खोलने की सूचना को प्रस्तुत करने, प्रबंधक और अन्य वैधानिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुपालन यथापेक्षित खान अधिनियम, 1952 के अनुसार किया जाए।

That the provisions of the Mines Act, 1952 and Rules and Regulations made thereunder including submission of notice of opening, appointment of manager and other statutory officials as required by the Mines Act, 1952 shall be complied with.

13. उपांतरित खनन योजना (खान बंद करने की प्रगतिशील योजना सहित) कि सीभी अन्य कानून पर अथवा किसी भी सक्षम न्यायालय के निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुमादेन किया गया है।

That the Modified Mining Plan (including Progressive Mine Closure Plan) is approved without prejudice to any other order or direction from any court of competent jurisdiction.

14. उपांतरित खनन योजना (खान बंद करने की प्रगतिशील योजना सहित) का क्रियान्वयन यदि कोई निषेधात्मक आदेश / सूचना के रद्द होने के अधीन होगी।

The execution of Modified Mining Plan (including Progressive Mine Closure Plan) shall be subject to vacation of prohibitory orders/notices, if any.

15. उपांतरित खनन योजना (खान बंद करने की प्रगतिशील योजना सहित) के कथन में खनन अधिनियम, 1952 के अधीन यथापेक्षित किसी सूचना का छिपाया जाना ज्ञात होता है और उसमें सुधार का प्रस्ताव नहीं किया गया तो अनुमोदन को तत्काल प्रभाव से वापस लिया माना जाऐगा।

If any information as required under Mines Act, 1952 in the contents of the Modified Mining Plan (including Progressive Mine Closure Plan) is found to be concealed and the proposals for rectification has not been made, the approval shall be deemed to have been withdrawn with immediate effect.

16. यदि किसी भी चरण में यह पाया गया कि दस्तेवाज में दी गई सूचना असत्य अथवा गलत तथ्यों को प्रस्तुत करता है तो अनुमोदन दस्तेवाज तत्काल प्रभाव से रद्द होजाएगा।

If at any stage, it is observed that the information furnished in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect.

17. यह अनुमोदन, खनन कार्य एवं संबधित गतिविधियों को खनन हेतु पट्टेक्षेत्र तक ही सीमित करता है। खनन पट्टाक्षेत्र को खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 32 के अंतर्गत वैधानिक योजना पर पट्टेदार / आर्हित व्यक्ति / आवेदक द्वारा दिखाया गया है। आवेदक / पट्टेदार द्वारा दिया गया पट्टे का नक्शा और अन्य योजना के संबंध में भूमि पर दिखाई गई पट्टे की सीमा की सत्यता के संबंध में पखनि की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।
This approval of mining operations and associated activities is restricted to the mining lease area only. The mining lease area is as shown on the statutory plans under Rule 32 of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 by the lessee/Qualified Person/applicant. AMD does not take any responsibility regarding correctness of the boundaries of the lease shown on the ground with reference to the lease map and other plans furnished by the applicant/lessee.

18. मुख्य नियंत्रक, खनन आईबीएम नागपुर द्वारा उनके दिनांक 06/4/2010 के पत्रांक 11013/3/एमपी/90-सीसीओएम वाल्यूम VII द्वारा जारी किये गये परिपत्रांक 2/2010 की अंतर्वस्तु का अनुपालन किया जाए और खनन पट्टा मिलने /क्रियान्वयन की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर पखनि को इसकी प्रति पृष्ठांकित की जाए।
The contents of circular No. 2/2010 issued by the Chief Controller of Mines, IBM, Nagpur vide his letter No. 11013/3/MP/90-CCoM Vol VII dated 06-04-2010 shall be complied with and a copy endorsed to AMD within a period of six months from the date of grant/execution of mining lease.

19. किसी भी समय खनन कार्य के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है तो निदेशक, पखनि लिखित रूप में संबंधि तकारणों को देते हुए प्रदत्त अनुमोदन को स्थगित कर सकते हैं।
That if anytime during the operation of mines, it is found that the existing laws are not being followed, the Director, AMD may suspend the approval accorded, by giving the relevant reasons in writing.

20. यदि खनन / मिलिंग पद्धति में सहसा परिवर्तन होता है तो इस संबंध में सूचना निदेशक, पखनि, हैदराबाद को दी जाए एवं खनन योजना में आवश्यकतानुसार पूर्न निरीक्षण किया जासकता है।
That if there is any drastic change in the method of mining/milling, the information in this regard shall be sent to the Director, AMD and the mining plan may be subjected to further revision as per requirement.

21. खनन योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए पखनि के प्राधिकृत अधिकारी को पूरी सुविधाएं प्रदान की जानी है।
Full facilities shall be accorded to authorized officer of AMD formonitoring of implementation of the mining plan.

22. एमसीडीआर, 2017 के नियम 27 के अंतर्गत यथापेक्षित वित्तीय आश्वासन पखनि के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।
The Financial Assurance as required under Rule 27 of MCDR, 2017 shall be submitted to the authorized officer of AMD.

23. विद्यमान नियमों के अनुसार सभी वैधानिक विवरणी एवं नोटिस की प्रतियां राज्य सरकार और निदेशक, पखनि को रिकार्ड हेतु भेजी जाएं।
Copies of all statutory returns and notices as per rules in vogue shall be sent to the State Government and the Director, AMD.

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन इल्मेनाइट, रुटाइल, ज़िरकान, मोनाज़ाइट, ल्यूकाकजीन और सिलिमेनाइट के संबंध में अनुमोदित उपांतरित खनन योजना की दो प्रतियाँए तदद्वारा संलग्न हैं।

Two copies of approved Modified Mining Plan in respect of Ilmenite, Rutile, Zircon, Monazite, Leucoxene and Sillimanite subject to fulfillment of above conditions are enclosed.

15/11/18

(मोहन बाबू वर्मा M.B. Verma)

निदेशक Director

एम.बी. वर्मा/M.B. VERMA
निदेशक/DIRECTOR
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय
Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
भारत सरकार Government of India
बेगमपेट, हैदराबाद Begumpet, Hyderabad-500 016.

सेवा में To

मुख्य महाप्रबंधक / प्रधान मेसर्स इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, चवरा, ज़िला :कोल्लम, तमिलनाडु- 691583	Chief General Manager/Head M/s Indian Rare Earths Limited, Chavara, Kollam District, Kerala – 691583

<u>सूचनार्थ प्रतिप्रेषित Copy for information to:</u>

1. संयुक्त सचिव (उवख), परमाणु ऊर्जा विभाग, पऊवि सचिवालय, अणुशक्ति भवन, सीएसएम मार्ग, मुंबई-400001.
   Joint Secretary (I & M), Department of Atomic Energy, DAE Secretariat, Anushakti Bhavan, Chatrapati Shivaji Maharaj Marg, Mumbai- 400001

2. मुख्य खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, 6वां तल, 'डी'-ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001.

   The Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, 6th Floor, Block 'D', Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur-440001.

3. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, इंडसट्रियल सबर्ब, स्टेज II, तुमकूर रोड, यशवंतपुर, बैंगलूरु - 560 022
   The Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Industrial Suburb, II Stage, Tumkur Road, Yeshwantpur, Bangalore -560 022

4. निदेशक, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, केरल सरकार, केशवदासपुरम, पट्टम पैलेस पोस्ट, तिरुवनंतपुरम - 695 004, केरल
   The Director, Directorate of Mining and Geology, Govt. of Kerala, Kesavadasapuram, Pattom Palace P.O., Thiruvananthapuram– 695004, Kerala

5. निदेशक, बैंगलूरु क्षेत्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, No.5, 14th Main (100ft) Road, 4th B Block, कोरमंगला, बैंगलूरु -560034
   The Director, Bangalore Region, Director General of Mines Safety, No.5, 14th Main (100ft) Road, 4th B Block, Koramangla, Bengaluru – 560034

6. चेयरमैन, ऐईआरबी, नियामक भवन , अणुशक्ति नगर , चेम्बूरईस्ट , मुंबई , महाराष्ट्र - 400094
   The Chairman, Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhavan, Anushakti Nagar, Chembur East, Mumbai, Maharashtra 400094